



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ 1935 (श0)
(सं0 पटना 103) पटना, बुधवार, 22 जनवरी 2014

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
20 जनवरी 2014

एस0 ओ0 10, दिनांक 22 जनवरी 2014—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची III में निम्न संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की अनुसूची III के भाग 1 का क्रमांक 73 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ विलोपित की जायेंगी।
2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[सं0 सं0 11/अंशा0/विविध-03/2012-251(अनु0)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नरेन्द्र कुमार सिन्हा,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

20 जनवरी 2014

एस0 ओ0 11, एस0 ओ0 10, दिनांक 22 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0 सं0 11/अंशा0/विविध-03/2012-251(अनु0)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नरेन्द्र कुमार सिन्हा,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 20th January 2014

S.O. 10, dated the 22nd January 2014—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to Schedule III appended to the said Act, namely-

Amendments

1. Serial number 73 and its corresponding entries of Schedule III of Part 1 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be deleted.
2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[F. No. 11 An. Sha./Vividh-03/2012—251(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,
NARENDRA KUMAR SINHA,
Commissioner-cum-principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 103-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>